



यू.ओ.नोट


विषय:-जोन-05 के क्षेत्राधिकार में भूखण्ड संख्या 50ए, प्रेम नगर प्रथम क्षेत्रफल 25 बाई 75 फीट में बेसमेन्ट+ग्राउण्ड+तृतीय मंजिल (05 मंजिला) का निर्माण को दिनांक: 22.01.2023 को सीलमुक्त किये जाने की सूचना के संबंध में।

प्रसंग:-आयुक्त, जविप्रा, जयपुर के आदेश दिनांक: 16.01.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक संदर्भ में लेख हैं कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के गैर अनुमोदित योजना के भूखण्ड संख्या 50ए, प्रेम नगर प्रथम क्षेत्रफल 25 बाई 75 फीट में बेसमेन्ट+ग्राउण्ड+तृतीय (05 मंजिला) का निर्माण जीरो सेटबैक पर किये जाने पर दिनांक: 13.06.2021 को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस जारी किये गये; उसके उपरान्त भी निरन्तर निर्माण कार्य जारी रखने पर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर जविप्रा संशोधित अधिनियम 2010 के तहत दिनांक: 03.08.2021 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक: 04.08.2021 को जोन टीम की निशादेही पर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

भूखण्ड स्वामी द्वारा भूखण्ड पर निर्मित बिल्डिंग के जविप्रा से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाये जाकर तथा स्वयं के स्तर पर अवैध निर्माण हटाने के शपथ-पत्र के आधार पर श्रीमान् आयुक्त, जविप्रा, जयपुर के आदेशानुसार दिनांक: 22.01.2023 को उक्त भूखण्ड को 01 माह के लिये सीलमुक्त कर भूस्वामी को कब्जा सम्भलाया गया है। बिल्डिंग को सीलमुक्त की जाने की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचना प्रेषित है।


संलग्न:-फर्दसील की फोटोप्रति


(धर्मेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन
जविप्रा, जयपुर।

मिस्ट्र एनालिस्ट,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक:-जविप्रा/मुनिप्र/2023/डी- 3948 दिनांक 6.11.23
प्रतिलिपि अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है :-

1. आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. प्रवर्तन अधिकारी जोन-05 को रक्षित पत्रावली हेतु।


(धर्मेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2570640) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {CCEJDA31@gmail.com}



फर्द सीलमुक्त

भूखण्ड सं. 50ए, प्रेम नगर प्रथम,

भूस्वामी श्रीमती कमलेश जांगीड

स्थान :- प्रेम नगर

दिनांक :- 22-01-23

रुबरू :-

1. श्री किशन लाल 510 श्री प्रन्तराम गुरजर R/O गणिव-घाऊरुय के अमबराम गढ़ जिला जयपुर 332-चालक
2. श्री जयपुराफ-510 श्री नारनू लाल R/O देवेय वाला के देवेय जयपुर हाल - लेबर 30 न
302

उपरोक्त साक्षीगणों के समक्ष व मौजूदगी में फर्द सीलमुक्त आप द्वारा जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के गैर अनुमोदित योजना के भूखण्ड सं. 50, प्रेम नगर प्रथम जिसका क्षेत्रफल लगभग 25 बाई 75 फीट में बैसमेंट+ग्राउण्ड+तृतीय मंजिल (5 मंजिला) का निर्माण जीरो सेटबैक पर किया गया है। जिसके संबंध में आपको जविप्रा अधिनियम 1982 के तहत दिनांक 13.06.2021 को धारा 32, 33 का नोटिस जारी किया गया। उसके उपरान्त निरन्तर निर्माण कार्य जारी करने पर सक्षत स्तर से अनुमति प्राप्त कर जविप्रा संशोधित अधिनियम 2010 के तहत दिनांक 03.08.2021 को धारा 34 (क) का नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 04.08.2021 को जोन टीम की निशादेही पर पुख्ता सिलिंग की कार्यवाही की गई।

उसके उपरान्त आप द्वारा भूखण्ड पर निर्मित बिल्डिंग के जविप्रा द्वारा भवन मानाक्षेत्र अनुमोदित करवाये जाकर तथा स्वयं के स्तर पर अवैध निर्माण हटाने के शपथ पत्र के आधार पर श्रीमान आयुक्त महोदय के आदेशानुसार आज दिनांक 22-01-23 को उपरोक्त गवाहान के समक्ष भूखण्ड को 01 माह के लिए सील मुक्त करने की कार्यवाही की गई एवं कब्जा भूस्वामी को सम्मलाया गया। आप द्वारा यदि नियत अवधि में अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही नहीं की गई, तो पुनः अग्रिम विधिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत स्वयं की होगी।

अतः फर्द सील मुक्त नियमानुसार तैयार कर उपरोक्त गवाहान को पढकर सुनाया जाकर सुन, समझ हस्ताक्षर करवाये गये एवं कब्जा भूस्वामी को सम्मलाया गया।

वरमाल

22/01/23
प्रवर्तन अधिकारी जोन-5
जविप्रा जयपुर

(आदेश 01/01/2023)
22/01/2023

किशन

26 फरवरी 2021 से 28 जनवरी 2022 तक सील किये गये भवनो की सूची।

क्र. सं.	जोन	सील किये गये भूखण्ड का पता	सील करने की दिनांक	सील करने के कारण	व्यावसायिक/ आवासीय	वर्तमान स्थिति
1	1	श्री वासुदेव गंगवानी, भूखण्ड संख्या-3 व 4, दुर्गा विहार, मालवीय नगर, जयपुर।	10.06.2021	भूखण्ड संख्या-3 व 4, दुर्गा विहार, मालवीय नगर, जयपुर में दो भूखण्डों को मिलाकर करीब 690 वर्गगज में जेडीए से बिना नियमन व एकीकरण करवाये जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर एंगल, टीन इत्यादि से निर्मित वृहद अवैध दो मंजिला व्यावसायिक निर्माण किया गया है।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है
2	1	भूखण्ड संख्या-सी-1 व सी-2, विनायक अपार्टमेन्ट (बेसमेन्ट में बी-1 से बी-20), सी-स्कीम, जयपुर।	26.10.2021	भूखण्ड संख्या-सी-1 व सी-2, विनायक अपार्टमेन्ट, सी-स्कीम में बेसमेन्ट में चल रही अवैध 20 दुकानों को सील किया गया।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है
3	2	भूखण्ड संख्या 41 स्कीम नं. 06 मानबाग कॉलोनी रामगढ़ रोड जयपुर।	03.08.2021	दिल्ली रोड पर अवस्थित गैरअनुमोदित योजना भूखण्ड संख्या 41 स्कीम नं. 06 मानबाग कॉलोनी रामगढ़ रोड जयपुर में बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के सेटबैक को कवर कर 05 दुकानों का अवैध निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सील किया गया।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है
4	3	श्री रामलखन अग्रवाल व श्रीमति सुनीता अग्रवाल श्री विनोद कुमार जैन भूखण्ड संख्या -ई-730, नकुल पथ, लालकोठी योजना, जयपुर	27.08.2021	जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के भूखण्ड संख्या-ई-730, नकुल पथ, लालकोठी योजना में लगभग 50 बाई 26 फीट में बेसमेंट सहित कुल पांच मंजिल का जीरो सेटबैक पर व्यावसायिक प्रयोजन के लिए निर्माण कर प्लास्टर+फिनिशिंग का कार्य करने पर	आवासीय	वर्तमान में सील है
5	3	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री बृजराज सिंह सहकार मार्ग, भारत भूखण्ड संख्या-111, लालकोठी योजना, जयपुर	08.09.2021	जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के लालकोठी योजना के भूखण्ड संख्या सी-111, लगभग 40 बाई 90 फीट जविप्रा से स्वीकृत साईड प्लान के विपरीत अग्र भाग में छोड़े जाने वाले सेटबैक में लगभग 21 बाई 9 फीट में "कैशव मेडिकल" की दुकान खोलकर आवासीय के स्थान पर व्यावसायिक गतिविधि का संचालन करने पर।	आवासीय	वर्तमान में सील है
6	3	श्रीमति कमला देवी पत्नि श्री विजय कुमार शर्मा भूखण्ड संख्या-सी-121, लालकोठी योजना, जयपुर	10.08.2021	जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के लालकोठी योजना के भूखण्ड संख्या-सी-121, में लगभग 90 बाई 50 फीट में बेसमेंट सहित जी+3 मंजिला वृहद व्यावसायिक बिल्डिंग पर पीछे के हिस्से में टीनशेड लगाकर तीन कमरों, कीचन व बरामदा, आदि का निर्माण कर रखा है एवं उक्त निर्माण में रेस्टोरेन्ट गेस्टहाउस, लाईब्रेरी आदि व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने पर।	आवासीय	वर्तमान में सील है

7	4	भूखण्ड संख्या-एच-23, लाल बाहदुर नगर, जयपुर	04.06.2021	भूखण्ड संख्या-एच-23, लाल बहादुर नगर, जयपुर में 200 वर्गमीटर भूमि में बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर कोरोनाकाल लॉकडाउन में तेज गति से 04 मंजिला अवैध बिल्डिंग में आगे 9 फीट व पीछे करीब 8 फीट छोड़ते हुये बी + 3 + चौथी मंजिल पर शटरिंग कर अवैध निर्माण के संबंध में।	आवासीय	वर्तमान में सील है
8	4	खसरा नम्बर-298, पुराना खसरा नम्बर-175 ग्राम चैनपुरा, जवाहर सर्किल के पास जयपुर (जविप्रा की अवाप्तशुदा भूमि)	23.06.2021	जविप्रा की अवाप्तशुदा भूमि हाल खसरा नम्बर 298, ग्राम चैनपुरा, जवाहर सर्किल के पास जयपुर पर हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद वर्ष 2005 के पश्चात् पिछे की तरफ 3 बाई 12 मीटर व आगे की तरफ चतुर्भुजाकार 13.8 मी., 11मी., 9 मी., 6.3मी. में टीनशेड लगाकर महालक्ष्मी गार्डन (रेस्टोरेन्ट) का अवैध निर्माण के संबंध में।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है
9	4	भूखण्ड संख्या-91ए बी, सी, डी आसिन्द नगर, सांगानेर जयपुर	03.09.2021	भूखण्ड संख्या-91ए 91बी, आसिन्द नगर, सांगानेर जयपुर में बिना जेडीए से उपविभाजन करवाये लगभग 60 बाई 60 फीट में जीरो सेटबैक बिल्डिंग बायलॉज का गम्भीर वॉयलेशन कर 5 मंजिला वृहद्ध अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण के संबंध में।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है
10	4	भूखण्ड संख्या-91ए बी, सी, डी आसिन्द नगर, सांगानेर जयपुर	03.09.2021	भूखण्ड संख्या-91सी 91डी, आसिन्द नगर, सांगानेर जयपुर में बिना जेडीए से उपविभाजन करवाये लगभग 60 बाई 60 फीट में जीरो सेटबैक बिल्डिंग बायलॉज का गम्भीर वॉयलेशन कर 5 मंजिला वृहद्ध अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण के संबंध में	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है
11	4	भूखण्ड संख्या-1 व 2, खत्री नगर, खुली जेल के पिछे, सांगानेर, जयपुर	28.09.2021	भूखण्ड संख्या-1 व 2, कुल क्षेत्रफल 900 वर्गगज को मिलाकर 75' बाई 60' कुल 500 वर्गगज में सैटबैक कवर करते हुए भूतल + प्रथम तल + द्वितीय तल की छत डालकर तृतीय मंजिल की छत डालकर अवैध व्यावसायिक निर्माण के संबंध में।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है
12	4	भूखण्ड संख्या-16, भंवर नगर, खुली जेल के पिछे, सांगानेर, जयपुर	28.09.2021	भूखण्ड संख्या-16, क्षेत्रफल लगभग 417 वर्गगज में लगभग 80' बाई 47' में जीरो सैटबैक पर पूर्व से निर्मित ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रथम तल + द्वितीय तल का निर्माण एवं लगभग 47' बाई 40' में तृतीय मंजिल की छत भरकर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है जो अवैध है।	आवासीय	वर्तमान में सील है
13	4	भूखण्ड संख्या-13 एवं 14 अखिल नगर, सिद्धार्थ नगर, मालवीय नगर, जयपुर	30.10.2021	भूखण्ड संख्या-13 एवं 14 अखिल नगर, सिद्धार्थ नगर, मालवीय नगर, जयपुर (क्षेत्रफल 223+234 = 457 वर्गगज) को बिना एकीकरण करवाये सैटबैक कवर करते हुए स्टील्ट पार्किंग में दो तथा ग्राउण्ड + प्रथम + द्वितीय मंजिल पर दो-दो कुल 8 फ्लेटो का वृहद्ध अवैध व्यावसायिक निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। जो अवैध है।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है
14	05	भूखण्ड सं. डी-83 श्याम नगर, जयपुर	22.12.2020 पुनः सील 23.12.2021	जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के बैसमेन्ट+ग्राउण्ड+ 4 मंजिल का व्यवसायिक निर्माण करने पर सील की कार्यवाही की गई।	आवासीय	वर्तमान में सील है
15	05	भूखण्ड सं. 62 सुल्तान नगर, गुर्जर की थडी,	09.04.2021	जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के ग्राउण्ड+ 3 मंजिल का निर्माण जीरो सैटबैक पर निर्माण करने पर सील की कार्यवाही की गई।	व्यवसायिक	वर्तमान में सील है

16	05	भूखण्ड सं. सी-28 रूप विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	09.04.2021	जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के ग्राउण्ड+ 3 मंजिल का निर्माण जीरो सैटबेक पर निर्माण करने पर सील की कार्यवाही की गई।	व्यवसायिक	वर्तमान में सील है
17	05	भूखण्ड सं. 446 देवीनगर	27.04.2021	जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के बेसमेन्ट+ ग्राउण्ड+ 4 मंजिल का व्यवसायिक निर्माण जीरो सैटबेक पर करने पर सील की कार्यवाही की गई।	व्यवसायिक	वर्तमान में सील है
18	05	भूखण्ड सं. 50(दाहिना) प्रेम नगर-प्रथम	04.08.2021	जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के लगभग 25 बाई 75 फीट में बेसमेन्ट+ग्राउण्ड+ 3 फ्लोर (5 मंजिला) का निर्माण जीरो सैटबेक पर किये जाने सील की कार्यवाही की गई।	व्यवसायिक	वर्तमान में सील है
19	05	भूखण्ड सं. 125 टैगोर नगर, करतारपुरा जयपुर।	30.09.2021	जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के क्षेत्रफल 134.50 वर्गगज में जीरो सैटबेक पर ग्राउण्ड+ प्रथम मंजिल का निर्माण करने पर सील की कार्यवाही की गई।	व्यवसायिक	वर्तमान में सील है
20	05	भूखण्ड सं. 54 नव निर्माण नगर, जयपुर	19.10.2021	जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के भूखण्ड में लगभग 30 बाई 66 फीट में ग्राउण्ड+ 3 फ्लोर में निर्माण जीरो सैटबेक पर करने पर सील की कार्यवाही की गई।	व्यवसायिक	वर्तमान में सील है
21	05	भूखण्ड सं. 57, 60, 61 विश्वनगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	09.11.2021	जविप्रा के बिना एकीकरण करवाये बिल्डिंग बॉयलॉज एवं सैटबेक का गम्भीर उल्लंघन कर बेसमेन्ट+ 3 मंजिला वृहद व्यवसायिक हॉस्टल कुल 66 कमरे मय लैटबाथ का निर्माण करने पर सील की कार्यवाही की गई।	व्यवसायिक	वर्तमान में सील है
22	6	कृपालु विहार स्थित भूखण्ड संख्या 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31	16.11.2021	कृपालु विहार स्थित भूखण्ड संख्या 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कुल अवैध 16 ड्रूप्नेक्सो का अवैध निर्माण किया जा रहा है।	आवासीय	वर्तमान में सील है
23	6	एमएस-19 (पूर्वी भाग) महापुरा, कूकर खेडा	01.12.2021	बिना जविप्रा की अनुमति व स्वीकृति के 16 अवैध फ्लेट्स का निर्माण किया गया है। 15 फ्लेटों को सील किया गया है। एक फ्लेट पर न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है।	आवासीय	वर्तमान में सील है
24	6	एमएस-19 (पश्चिमी भाग) महापुरा, कूकर खेडा	01.12.2021	बिना जविप्रा की अनुमति व स्वीकृति के 16 अवैध फ्लेट्स का निर्माण किया गया है। 15 फ्लेटों को सील किया गया है। एक फ्लेट पर न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है।	आवासीय	वर्तमान में सील है
25	7	भूखण्ड संख्या-116 गिरनार कॉलोनी, मंदिर मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।	12-05-2021	उक्त परिसर में 71 बाई 46 फुट में करते हुए बेसमेन्ट+ 05 मंजिला का निर्माण कर कुल 34 कमरों व लेटबाथ का निर्माण करने बाबत।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है।
26	7	भूखण्ड संख्या-176,177 वैशाली प्राईम, धावास, जयपुर।	27-03-2021	उक्त परिसर में 60 बाई 50 फुट में दो भूखण्डों का एकीकरण करते हुए ग्राउण्ड + तृतीय का निर्माण कर कुल 04 मंजिला कुल 12 फ्लेट्स का निर्माण करने बाबत।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
27	7	भूखण्ड संख्या-113 लॉयन्स लेन, खालीपुरा, जयपुर।	04-10-2021	उक्त परिसर में 36 बाई 100 फुट में स्टील्ड+ग्राउण्ड+तृतीय का निर्माण कर कुल 05 मंजिला कुल 08 फ्लेट्स का निर्माण करने बाबत।	आवासीय	वर्तमान में सील है।

28	8	प्लाट नं. 10, 11 मौजी विहार, कल्याणपुरा सांगानेर।	19.06.2021	प्लाट नं. 10, 11 मौजी विहार, कल्याणपुरा सांगानेर के पास मौजी विहार कॉलोनी में 02 भूखण्डों को अवैध रूप से संयुक्त कर करीब 630.24 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के जीरो सैटबैक पर बायलॉज गंभीर उल्लंघन कर 02 मंजिला निर्माणाधीन होने पर सील किया गया।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
29	8	प्लाट नं. 40, शिव शक्ति विहार, मुहानामण्डी रोड जयपुर।	28.06.2021	प्लाट नं. 40, शिव शक्ति विहार, मुहानामण्डी रोड जयपुर में करीब 200 वर्गगज पर सैटबैक एरिया में अवैध निर्माण कर बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के जीरो सैटबैक पर बायलॉज गंभीर उल्लंघन कर 05 मंजिला निर्माणाधीन होने पर सील किया गया।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
30	8	प्लाट नं. बी-93, दादू दयाल नगर जयपुर।	24.05.2021	प्लाट नं. बी-93, दादू दयाल नगर जयपुर सैटबैक एरिया में अवैध निर्माण कर करीब 228 वर्गगज में जीरो सैटबैक पर एरिया में अवैध निर्माण कर बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के जीरो सैटबैक पर बायलॉज गंभीर उल्लंघन कर 05 मंजिला अवैध बिल्डिंग-09 फ्लेट्स कोरोनाकाल में लॉकडाउन के दौरान मौका पाकर निर्माणकर्ता द्वारा उक्त निर्माण कार्य जारी रखा उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व जविप्रा की ट्रिब्यूनल में भी विचाराधीन रहा अवैध निर्माण नहीं रूकने पर सील किया गया।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
31	8	प्लाट नं. 260, पटेल नगर एस्कॉन रोड जयपुर।	01.03.2021	प्लाट नं. 260, पटेल नगर एस्कॉन रोड जयपुर पर 520 वर्गगज में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सैटबैक व बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर 05 मंजिला अवैध बिल्डिंग में 16 फ्लेट्स का अवैध निर्माण करने पर सील किया गया।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
32	8	प्लाट नं. 173, पटेल नगर एस्कॉन रोड जयपुर।	01.03.2021	प्लाट नं. 173, पटेल नगर एस्कॉन रोड जयपुर 44 बाई 70 वर्गफीट पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सैटबैक व बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर 05 मंजिला अवैध बिल्डिंग में 12 फ्लेट्स का अवैध निर्माण करने पर सील किया गया। सैटबैक एरिया में अवैध निर्माण	आवासीय	वर्तमान में सील है।
33	8	प्लाट नं. 91, खुशी विहार, पत्रकार कालोनी के पास जयपुर।	30.10.2021	प्लाट नं. 91, खुशी विहार, पत्रकार कालोनी के पास जयपुर पर 400 वर्गगज में बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर 04 मंजिला वृहदअवैध बिल्डिंग में 09 फ्लेट्स का अवैध निर्माण करने पर सील किया गया।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
34	9	भू.सं. 332-333, कुसुम विहार, जगतपुरा, जयपुर।	08.06.2021	भू.सं. 332-333, कुसुम विहार, जगतपुरा, जयपुर में दो आवासीय भूखण्डों को अवैध रूप से संयुक्त कर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के पुराने बने बेसमेन्ट+ग्राउण्ड के ऊपर प्रथम+द्वितीय+तृतीय मंजिल का जीरो सैटबैक पर अवैध निर्माण कर लिया है।	व्यावसायिक	सील है।
35	9	भूखण्ड संख्या-सी-15, दक्षिणपुरी, जगतपुरा, जयपुर।	23.07.2021	भूखण्ड संख्या-सी-15, दक्षिणपुरी, जगतपुरा, जयपुर में क्षेत्रफल 250 वर्गगज पर सैटबैक का गंभीर वायलेशन कर अवैध रूप से 06 फ्लेट्स वृहद व्यावसायिक अवैध निर्माण जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के सैटबैक कवर करते हुए स्टील्ड+ग्राउण्ड+द्वितीय मंजिल का निर्माण करने पर सील किया गया	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है।

36	9	भूखण्ड संख्या-34, ओरियन्टल आर्कड, जगतपुरा, जयपुर।	27.08.2021	भूखण्ड संख्या-34, ओरियन्टल आर्कड, जगतपुरा, जयपुर जयपुरा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के सेटबैक कवर करते हुए स्टील्ड+ग्राउण्ड+तृतीय मंजिल का निर्माण कर लिया गया है, जो अवैध है।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है।
37	9	भूखण्ड संख्या-16, जगत विहार, जगतपुरा, जयपुर।	30.09.2021	भूखण्ड संख्या-16, जगत विहार, जगतपुरा जयपुर में 239 वर्गगज क्षेत्रफल में जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायुलेषन कर बेसमेन्ट+04 कुल 5 मंजिला वृहद व्यावसायिक दुकान-फ्लैट्स का अवैध निर्माण कर पीछे जीरो सेटबैक पर पडौसी की तरफ खिडकियाँ निकालकर वृहद अवैध निर्माण कर लिया गया है।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है।
38	9	भूखण्ड संख्या-17, जगत विहार, जगतपुरा, जयपुर।	30.09.2021	भूखण्ड संख्या-17, जगत विहार, जगतपुरा जयपुर में 136 वर्गगज क्षेत्रफल में जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायुलेषन कर बेसमेन्ट+04 कुल 5 मंजिला वृहद व्यावसायिक दुकान-फ्लैट्स का अवैध निर्माण कर पीछे जीरो सेटबैक पर पडौसी की तरफ खिडकियाँ निकालकर किये गये वृहद अवैध निर्माण कर लिया गया है।	व्यावसायिक	सील है।
39	9	भूखण्ड संख्या-बी-318, नन्दपुरी, जगतपुरा, जयपुर।	10.12.2021	जयपुरा से जारी साईट प्लान के विपरीत अग्र सेटबैक 15 फीट के स्थान पर 12.9 फीट रिक्त है व साइड साइड सेटबैक 10 फीट कवर है तथा पीछे का सेटबैक 10 फीट कवर अर्थात जीरो सेटबैक पर बेसमेन्ट+तीन मंजिला एवम् चतुर्थ मंजिल पर पिल्लर खड़े कर बल्ले फन्टे लगा रखे है जीरो सेटबैक पर निर्माण किया गया है।	व्यावसायिक	सील है।
40	10	प्लॉट न. 195 से 200 सिद्धार्थ नगर	16.04.21	प्लॉट न. 195 से 200 सिद्धार्थ नगर इकोलोजिकल जोन में सेटबैक व बायलॉज का गंभीर वायुलेषन कर 06 अवैध डुप्लेक्सो का निर्माण करने पर सील किया गया	आवासीय	वर्तमान में सील है।
41	10	ग्राम खो नागोरियान पटवार हल्का लुनियावास रोपाडा रोड गोरधन धाम (लुनियावास इकोलोजिकल जोन) में अवैध कॉलोनी	24.05.21	ग्राम खो नागोरियान पटवार हल्का लुनियावास रोपाडा रोड गोरधन धाम (लुनियावास इकोलोजिकल जोन) में इकोलोजिकल जोन अवैध डुप्लेक्स का निर्माण करने पर सील किया गया।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
42	10	प्लॉट न. 6 व 7, निलेश्वरी कॉलोनी, सीबीआई फाटक के पास, हेमराज गुर्जर कृष्णा प्रोपर्टीज	17.08.21	इकोलोजिकल जोन में अवस्थित प्लॉट न. 6 व 7, निलेश्वरी कॉलोनी, सीबीआई फाटक के पास कुल क्षेत्रफल 515 वर्गगज में जीरो सेटबैक पर बने 05 मंजिला वृहद अवैध बिल्डिंग-डुप्लेक्स का निर्माण का निर्माण करने पर सील किया गया।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
43	10	सुमेल रोड पर टायर गोदाम के सामने अवैध कॉलोनी गिल सिधु एनक्लेव में 4 अवैध व्यावसायिक विलाज में सिलिंग की कार्यवाही	15.12.21	इकोलोजिकल जोन में सुमेल रोड पर टायर गोदाम के सामने नवीन अवैध कॉलोनी गिल सिधु एनक्लेव में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के अवैध रूप से सेटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायुलेषन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने 4 अवैध व्यावसायिक विलाज में सिलिंग की कार्यवाही की गई।	आवासीय	वर्तमान में सील है।

44	12	भूखण्ड संख्या-129, 130 बालाजी धाम, राजावास सीकर रोड जयपुर	20.09.2021	भूखण्ड संख्या-129, 130 बालाजी धाम, राजावास सीकर रोड जयपुर पुर्नगठन कराये बिना दोनो भूखण्डों को मिलाकर लगभग 41 बाई 75 वर्गगज जीरो सैटबैक पर स्टिल्ट + ग्राउण्ड + 2 तल का अवैध निर्माण किया जा रहा था।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
45	12	भूखण्ड संख्या 75, 76 नीर सागर कॉलोनी, भांकरोटा, जयपुर	24.09.2021	भूखण्ड संख्या 75, 76 में करीब 70 बाई 70 फीट में आगे 10' सैटबैक छोड़ते हुए साइड व पिछे के निर्धारित सैटबैक को कवर करते हुए श्रीनाथ प्लाजा के नाम से पूर्व निर्मित बेसमेन्ट+जी+2 फ्लोर जिसमें व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है एवं तृतीय मंजिल के लिये आरसीसी की छत डालकर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दीवारों का नवीन अवैध निर्माण किया जा रहा था	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है।
46	12	भूखण्ड संख्या-201, 202, 203, 204, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 346, 347, 348, 349, 350, 428, 429, 170, 171, 176, 177, 178, 140 व 141 हनुमान नगर विस्तार-1, गैर अनुमोदित योजना हाथौज, जयपुर	08.12.2021	भूखण्ड संख्या-201, 202, 203, 204, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 346, 347, 348, 349, 350, 428, 429, 170, 171, 176, 177, 178, 140 व 141 प्रत्येक में करीब 20 बाई 50 वर्गगज में सम्पूर्ण सैटबैक कवर करते हुए व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ग्राउण्ड फ्लोर पर आरसीसी की छत डालकर प्रथम फ्लोर पर एक कमरा व गुमटी बनाकर निर्माण कर लिया था	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है।
47	13	खसरा नं. 15/1 (4311/15) सरदार सिंह मार्केट ग्राम कानोता	25.10.2021	ग्राम-कानोता में खसरा नं. 15/1 (4311/15) नाम से सर्जित सरदार सिंह मार्केट ग्राम कानोता में करीब अवैध 90 दुकानों का निर्माण किया गया था। जिसमें 24 संचालित दुकानों को छोड़कर 66 दुकानों को सील किया गया।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है।
48	PRN (S)	प्लॉट नं. बी-9, किशोर विहार बी, बदरवास।	13.05.2021	प्लॉट नं. बी-9, किशोर विहार बी, बदरवास में क्षेत्रफल जेडीए की बिना स्वीकृति एवं बिना अनुमति के चार मंजिला अवैध निर्माण कर लिया गया है।	आवासीय	वर्तमान में सील है।




यू.ओ.नोट

विषय:- 26.02.2021 से 28 जनवरी 2022 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा सील की गई अवैध बिल्डिंगो को जेडीए वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 26 फरवरी 2021 से 28 जनवरी 2022 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा सील की गई कुल 48 अवैध बिल्डिंगो को जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार जोनवार सूची (कुल पृष्ठ 06)


29/01/2022
(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक-प्रवर्तन,


सिस्टम एनालिस्ट,
जविप्रा, जयपुर।

कमांक:-जविप्रा/मुनिप्र/2022/डी- 163

दिनांक 29.1.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ सादर प्रेषित है:-

1. आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।


29/01/2022
(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक-प्रवर्तन